

पटवारी रिपोर्ट
 ग्रामीण जी निवेदन है कि वर्तमान में लिटारी में मैग्रीगेशन जमाबंदी आगमन से निरन्तर जारी नवीन साफ्टवेयर में नाबालिग नाम से पूर्व दर्ज हुआ है जबकि उक्त जमाबंदी बनते समय यह नाबालिग नाम में दर्ज हुआ जो गलत है उक्त नाबालिग नाम के सम्मुख अंकित कर दुरुस्त करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट
 श्रीमान जी,
 मुलाफि रिपोर्ट पत्रावली दुबली मिफाफात जिल्हा
 20/9/2025

तहसीलदार की रिपोर्ट
 वर्तमान रेकार्ड में नाबा. का अंकन नाम के पीछे दर्ज होने से नामा. दर्ज नहीं किया जा सकता है। अतः नाबा. का अंकन नाम से पूर्व होने पर ही शर्ची का बालिग का नामा. दर्ज किया जा सकता है अतः प्रकरण दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित है।
 भू अभिलेख निरीक्षक

2025
 418
 क्रमांक / 114

ग्रामीण अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

दिनांक:- 19-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम निटारी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2069-72 के खाता संख्या 545 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	धीसा नाबा. 53 जोपी उर्फ गोपाल जाति श्रील दि. 01/24 शे.स. 14222	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसूची	खता सं. अनुसूची	नबालिग धीसा जोपी उर्फ गोपाल जाति-श्रील दि. 01/24 शे.स. 14222	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसूची	अनुसूची

क्रमांक:- 4858-59 दिनांक:- 19-9-2025

प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को प्रालम्ब
 2. आदेश पत्रावली

ग्रामीण अधिकारी एवं उपस्थित अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर